

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
30.07.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1631 का उत्तर

हरेबेट्टा रेलवे स्टेशन का उन्नयन

1631. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या दक्षिण पश्चिम रेलवे (एसडब्ल्यूआर) द्वारा घाट खंड की क्षमता बढ़ाने के लिए हरेबेट्टा रेल स्टेशन का क्रॉसिंग स्टेशन में उन्नयन करने हेतु व्यवहार्यता अध्ययन किया गया था, यदि हाँ, तो अध्ययन की मौजूदा स्थिति क्या है;
- (ख) क्या इसके कार्यान्वयन के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार ने सकलेशपुर और सुब्रमण्यम रोड खण्ड पर भूस्खलन से पैदा हुए पुराने खतरों को देखते हुए वहां के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) दक्षिण पश्चिम रेल के अंतर्गत सकलेशपुर और सुब्रमण्यम रोड घाट सेक्शन के बीच रेल विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है; और
- (ङ) विद्युतीकरण कार्य के पूरा होने में विलंब उत्पन्न करने वाली बाधाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): हरेबेट्टा रेलवे स्टेशन को क्रॉसिंग स्टेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। हसन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एचएमआरडीसीएल) ने हरेबेट्टा रेलवे स्टेशन को क्रॉसिंग स्टेशन के रूप में विकसित करने की लागत वहन करने पर सहमति व्यक्त की है।

सकलेशपुर-सुब्रह्मण्यम रोड घाट खंड में, विगत में भूस्खलन के कारण उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए, संरक्षा बढ़ाने के लिए ढलानों को समतल करने, चट्टान गिरने से बचाव के लिए अवरोधक सुरक्षा का प्रावधान, गिरते पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए बोल्टर जाल का प्रावधान, गैबन की दीवार का प्रावधान, साइड ड्रेन में सुधार जैसे पर्याप्त संरक्षा उपाय किए गए हैं।

दक्षिण पश्चिम रेलवे के सुब्रह्मण्य रोड से शिरिबागिलु (14 मार्ग कि.मी.) और सकलेशपुर-दोणिगाल (9 मार्ग कि.मी.) खंड में रेल विद्युतीकरण संबंधी कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा, सकलेशपुर से सुब्रह्मण्य रोड (55 मार्ग कि.मी.) मार्ग के शेष खंड, अर्थात् शिरिबागिलु-दोणिगाल (32 मार्ग कि.मी.) घाट खंड में भी विद्युतीकरण कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

विद्युतीकरण परियोजना(ओं) का पूरा होना वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से वैधानिक मंजूरी, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना(ओं) स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति के कारण विशेष परियोजना स्थल के लिए एक वर्ष में कार्य महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना(ओं) के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं।
